	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते विभागी सांख्या ? के ... हेतु दिनांक 06.09.24 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) शिव	
6.9.24	पत्रावली पेश हुई। वादी /प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण इत्तला होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 25.9.24 को पेश हो।	
25.9.24	श्रीमान् पीठासीन अधिकारी के मुख्यालय से बाहर होने से इत्तला होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 16.10.24 को पेश हो।	
16.10.24	पत्रावली पेश। ... उपस्थित। पत्रावली वास्ते पूर्वानुसार दिनांक 24.10.24 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) शिव	
24.10.24	पत्रावली पेश। ... उपस्थित। पत्रावली के अस्थाई निषेधाज्ञा पर उभयपक्ष अधिवक्ता को सुना। प्रार्थी वकील द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि विपक्षीगण द्वारा ... प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखलंदाजी पैदा की जा रही है तथा ... आमादा होकर रास्ता अवरुद्ध करने ... है। ... कि प्रार्थी अतः श्रीमान जी से निवेदन ... विवादित आराजी का रेकॉर्ड ... सहायक कलक्टर (SDO) शिव	

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2025.01.30 16:45:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म के में जारी
	तथा काबिज काश्त होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है तथा विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के कब्जा में दखलंदाजी व हस्तक्षेप कर उसके आवागमन हेतु रास्ता अवरूद्ध करने से अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होने से प्रार्थी के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरूद्ध विवादित आराजी में प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखलंदाजी नहीं करने तथा आवागमन हेतु प्रार्थी के रास्ते में किसी प्रकार की रूकावटें पैदा नहीं किये जाने के आदेश की अस्थाई निषेधाज्ञा फरमाई जावें। विप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि ~~[illegible]~~ विप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं की जा रही है प्रार्थी का प्रस्तुत आवेदन मनगढ़ंत तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जावें। हमनें उभयपक्ष को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थी विवादित आराजी का रेकर्ड खातेदार होने तथा मौके पर काबिज काश्त होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। यदि विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखलंदाजी की जाकर रूकावटें पैदा की जाती है तथा आवागमन हेतु रास्ता रोका जाता है तो इससे प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों पर कुठाराघात होगा एवं उसे अपूर्णीय क्षति होने से इन्कार नहीं किया [illegible] सकता। अतः प्रार्थी का [illegible] किया जाकर मौजा रणधा[illegible] खसरा नम्बर 59 रकबा 20.57 [illegible] विप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थी के कब्जा काश्त [illegible] दखलंदाजी	

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2025.01.30 16:45:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
नहीं करेंगे, रुकावटें पैदा नहीं करेंगे तथा आवागमन हेतु रास्ता अवरुद्ध नहीं किये जाने के आदेश की अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला बाद कन्फर्म की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) शिव	

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2025.01.30 16:45:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner